न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या – 06/2014

अपीलान्टस्	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
मैसर्स हाजी नूर मोहम्मद गौरी एण्ड सन्स बोरावड़ जरिये भागीदारान– 1. सराजुदीन पुत्र स्व. हाजी नूर मोहम्मद 2. निजामुदीन पुत्र स्व. हाजी नूर मोहम्मद 3. सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार पुत्र स्व. हाजी नूर मोहम्मद (फौत) के कायम मुकामान– 3/1 जुबैदा बानो पत्नी सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/2 मेहरून बानो पुत्री सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/3 सायरा बानो पुत्री सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/4 नबाब अली पुत्र सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/5 आमना बानो पुत्री सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/6 अब्दुल हमीद पुत्र सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/7 मोहम्मद इकबाल पुत्र सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार 3/8 मोहम्मद सलीम पुत्र सतार मोहम्मद उर्फ अब्दुल सतार समस्त जाति गौरी (तेली मुसलमान) निवासीगण तेली मौहल्ला, बोरावड़, तहसील मकराना, जिला नागौर		1. नवाब अली पुत्र स्व. रोशन अली 2. बिदाम बानो पत्नी स्व. रोशन अली 3. मोहम्मद सुलेमान पुत्र स्व. रोशन अली 4. अकबर अली पुत्र स्व. रोशन अली 5. अब्दुल मजीद पुत्र स्व. रोशन अली 6. बतुल पुत्री स्व.रोशन अली 7. शहाबुदीन पुत्र स्व. हाजी नूर मोहम्मद सभी जाति गौरी (तेली मुसलमान) निवासीगण बोरावड़, तहसील मकराना, जिला नागौर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री बलजीत सिंह चौधरी, श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आवीणा।

निर्णय दिनांक : 25-07-2019

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 12.12.2009 को बोरावड़ के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2328 की पुस्त पर तहसीलदार मकराना के आदेश दिनांक 31.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील तावेउज मयाद दर्ज रजिस्टर कर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया एवं रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के संबंध में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री महेन्द्र विश्नोई व कालुराम सांखला द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। वकील श्री महेन्द्र विश्नोई द्वारा आदेशिका दिनांक 11.06.14 व 17.11.14 अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या–7 की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग ली गई एवं वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर बाहा गया, परन्तु वकालतनामा पेश नहीं हुआ। प्रकरण अपीलान्ट की लिखित बहस का जवाब/अंतिम बहस हेतु तारीख पेशी 18.07.2019 को नियत था, परन्तु वक्त दिनांक 18.07.2019 को रेस्पोडेन्ट 1 से 6 के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट 1 से 7 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन विवादित आदेशों की अपीलान्टस् को प्रथम बार जानकारी दिनांक 10.12.2013 को नामान्तरकरण संख्या 2328 की नकल लेने पर ही हुई है। इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्टस् को न होने से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। आदेश दिनांक 31.10.2013 की जानकारी अपीलान्ट को होने की तिथि दिनांक 10.12.2013 से 30 दिवस के भीतर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जाने का कथन करते हुऐ इस अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट की अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरण अपील बोरावड़ के नामान्तरण संख्या 2328 की पुश्त पर तहसीलदार मकराना के आदेश दिनांक 31.10.2013 के विरुद्ध है, अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार मकराना ने लीज सम्पति के सम्बन्ध में पट्टादाता (Lesser) की अनुमति व आदेश के बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 का नाम दर्ज किया है, तहसीलदार का आदेश उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि यह लीज सम्पति है।

नूर मोहम्मद के पांच पुत्र सराजुदनी, निजामुदीन, सत्तार मोहम्मद, सहाबूदीन एवं रोशन अली थे, जिनमें से तीन पुत्र अपीलार्थी फर्म के वर्तमान में भागीदार है। बोरावड़ के वर्तमान खसरा संख्या 326/18 (मूल खसरा संख्या 326) की सवा बीघा भूमि फैक्ट्री लगाने हेतु सन् 1973 में हाजी नूर मोहम्मद व उनके पांचों पुत्रो ने शामिल रहते सन् 1973 में क्रय की, चूंकि इस भूमि में फैक्ट्री लगाने के लिए लीज प्राप्त करनी थी एवं लीज लेने के लिए भूमि को सरकार के पक्ष में समर्पित करनी थी एवं अफखण्डन नियम के चलते परिवार ने यह भूमि बड़े भाई रोशन अली के नाम से क्रय की। इस भूमि में परिवार की भागीदारी फर्म के नाम से कारखाना लगाने के लिए दिनांक 19.05.1975 को भागीदारी फर्म मैसर्स हाजी नूर मोहम्मद गौरी एण्ड सन्स मार्बल इण्डस्ट्रीज का गठन किया गया, फर्म के नाम से दी नागौर सैंट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक शाखा मकराना में दिनांक 4.8.1975 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चालू खाता संख्या 434 खुलवाया। इस बैंक खाते का संचालन भागीदार निजामुदीन के माध्यम से करना तय कर खाता खुलवाने के आवेदन दिनांक 04.08.1975 पर निजामुदीन के हस्ताक्षरों की पहचान स्वंय श्री रोशन अली ने की। यह खाता सन 1975 से लगातार आज दिन तक संचालित है।

दिनांक 19.5.1975 को नूर मोहम्मद के पांचों पुत्रों भागीदारी फर्म के भागीदारों ने इस भूमि में मार्बल चिराई, कटींग, पॉलिश मशीन, रोडी मशीन व पाटीयों के गोदाम कार्य हेतु औधोगिक लीज प्राप्त करने की कार्यवाहीयॉ शुरू की, दिनांक 26.9.1975 को फर्म की ओर से श्रीमान् जिलाधीश महोदय को प्रपत्र (क) भरकर पांचों भाईयो का नाम भागीदारों के रूप में अंकित कर सबसे बड़े भाई रोशन अली ने तहसीलदार जी परबतसर के माध्यम से आवेदन किया। तहसीलदार जी परबतसर ने फर्म के पक्ष में एक रिपोर्ट श्रीमान् जिलाधीश महोदय को दी गई, जिसके कॉलम संख्या 1 में आवेदक का नाम भागीदारी /लीजी फर्म का नाम लिखा गया, इस लीज आवेदन को श्रीमान् कार्यालय में दिनांक 27.9.1975 को रजिस्टर में दर्ज किया जिसमें भी आवेदक फर्म का नाम जरिये पार्टनर्स रोशन अली, शहाबुदीन, सराजुदीन, निजामुदीन व सत्तार मोहम्मद अंकित किया गया है एवं मूल लीजी फर्म के नाम उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि का आवंटन करने की प्रार्थना की। भागीदारी फर्म के नाम से लीज जारी करवाने हेतु रोशन अली ने तहसीलदार परबतसर के मार्फत खसरा नम्बर 326 की उक्त सवा बीघा भूमि को 6/– रूपये के स्टाम्प पर लिखत कर सरकार को समर्पित कर दिया । मूल लीजी फर्म की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार परबतसर को दिनांक 20.9.1978 को एक पत्र जारी कर 6 बिन्दूओं पर सूचना मांगी। इस पत्र में भी लीजी फर्म के भागीदारों के रूप में पांचो भाईयों का नाम ही लिखा गया। श्रीमान् जी के कार्यालय द्वारा मांगी गई सूचना पर तहसीलदार जी परबतसर द्वारा दिनांक 17.8.1979 को श्रीमान् को आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की गई, जिसमें भी लीजी फर्म के भागीदारों के रूप में पांचों भाईयों का नाम अंकित किया गया है भागीदार रोशन अली ने समय समय पर श्रीमान् को आवेदन प्रस्तुत कर शीघ्र लीज जारी किये जाने की मांग की जिनमें भी उन्होंने अपने आपको लीजी फर्म का भागीदार होना ही अंकित किया है । भूमि के ब्लू प्रिंट नक्शो पर सत्तार मोहम्मद एवं रोशन अली के हस्ताक्षर बहैसियत

भागीदार किये गये है श्रीमान् जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र मकराना द्वारा श्रीमान् को दिनांक 18.7.1992 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी भूमि फर्म की होना ही अंकित किया है दिनांक 6.8.1992 को उपरोक्त भूमि को औधोगिक प्रयोजनार्थ फर्म के हक में रूपान्तरित करने का आदेश प्रदान किया गया एवं श्रीमान् कार्यालय द्वारा 1.9.1992 को लीज जारी करने बाबत लीज डीड टाईप होकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करते समय लिखी आदेशिका दिनांक 1.9.1992 में भी श्री रोशन अली को फर्म का भागीदार होना ही उल्लेखित किया गया था लेकिन दिनांक 1.9.1992 को जो लीज डीड टाईप हुई उसमें ओवर साईट अथवा टाईप की भूल से मूल लीजी फर्म जरिये भागीदार नहीं लिखा जाकर जरिये प्रोपराईटर रोशन अली लिख दिया गया, जाहिरा तौर से यह ओवर साईट अथवा टाईप की भूल से ही हुआ था क्योंकि लीज डीड प्राप्त करने हेतु की गई समस्त कार्यवाहियाँ मूल लीजी फर्म की और से फर्म को भागीदारी फर्म होना बताकर ही की गई थी। उक्त लीज डीड का उप पंजीयक अधिकारी से दिनांक 16.10.1992 को पंजीयन करवा लिया गया । लीज डीड पंजीयन होने के पश्चात जिला उद्योग केन्द्र एवं आयकर विभाग में मूल लीजी फर्म का पंजीयन करवाकर स्व. श्री हाजी नूर मोहम्मद के पांचों पुत्रों ने इस भूमि में पूंजी विनियोजन कर पत्थर चीरने की देशी मशीने, आवश्यक निर्माण, चार दीवारी व अन्य आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था की एवं कार्य शुरू कर दिया।

इस भागीदारी फर्म ने अपना कार्य 19.5.1975 से शुरू कर दिया था लेकिन भागीदारी का विलेख दिनांक 10.12.1975 को लिखा गया एवं उसे दिनांक 31.12.1975 को आयकर विभाग में पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर पंजीयन करवाया गया, फर्म के व्यवसाय को स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के रूप में दिनांक 7.9.1976 को जिला उद्योग केन्द्र, नागौर से पंजीयन करवाया गया, पांचों भाईयों की भागीदारी के दौरान आयकर विभाग से जब जब फर्म का एसेसमेन्ट हुआ तब तब फर्म में पांचों भाईयों को फर्म में भागीदार होना ही प्रकट किया गया। फर्म के नाम से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया गया, जिसे बाद में भागीदार निजामुदीन ने सन् 1989 में आवेदन देकर बढ़ाकर 50 होर्स पॉवर में कनवर्ट करवाया गया, एवं उसके बाद पुनः बढ़वाकर 71 होर्स पॉवर में कनवर्ट करवाया गया, उक्त विद्युत पॉवर खर्च का अधिकांश भुगतान लीजी फर्म के बैंक खाते से ही अपीलान्ट फर्म के भागीदारान की और से भुगतान किया जाता रहा है।

दिनांक 31.12.1979 को बड़े भाई भागीदार श्री रोशन अली मूल लीजी फर्म से रिटायर हो गये, इस बाबत 12.12.1980 को संशोधित भागीदारी विलेख लिखा गया, इस पर पांचों भाईयों एवं शहाबुदीन के पुत्र अब्दुल गफार के भी हस्ताक्षर है इसके पश्चात एक भाई / भागीदार शहाबुदीन भी दिनांक 31.12.1984 को रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने पर 1.1.1985 को पुनः संशोधित भागीदारी विलेख निष्पादित लिखा गया, इस विलेख पर भी पूर्व में रिटायर हो चुके भागीदार श्री रोशन अली के हस्ताक्षर बतौर गवाह है। इस प्रकार दिनांक 1.1.1985 से मूल लीजी भागीदारी फर्म में तीन भागीदारान सराजुदीन, निजामुदीन व सत्तार मोहम्मद भागीदार होकर इस फर्म व फर्म की सम्पत्ति का कार्य संचालित कर रहे है, दिनांक 01.01.85 से लीज रेन्ट का भुगतान मूल लीजी फर्म के नाम से अपीलान्ट फर्म के भागीदारान ही कर रहे है। सन 1990 में मूल लीजी फर्म में लगी देशी चिराई मशीन को डायमण्ड गैंगसा में कनवर्ट कर फर्म द्वारा मार्बल सलेबस का उत्पादन शुरू किया गया। इस बाबत जिला उद्योग केन्द्र, नागौर के रिकार्ड में दिनांक 16.8.1990 को आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करवाई गई, इन्हीं तीनों भागीदारान ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग से उत्पाद शुल्क योग्य माल का लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर मूल लीजी फर्म के नाम से लाईसेन्स जारी हुआ, इसमें इन तीनों को ही फर्म के भागीदारान होना बताया गया है, इसके अलावा सन 1989–90 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लागू होने पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग आदि में कार्यवाहियां करने हेतु भागीदार सत्तार मोहम्मद को आम मुख्त्यार नियुक्त कर उन्हें समस्त कार्यवाहियों को करने का अंजाम दिया गया, जिस बाबत दिनांक 14.7.1990 को सत्तार मोहम्मद के हक में मुख्त्यारनामा भी तहरीर दिया गया। सन 1995 में मूल लीजी फर्म का पंजीयन केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत करवाया गया एवं वाणिज्यिक कर विभाग से आर.एस.टी. एवं सी.एस.टी. नम्बर प्राप्त किये

गये। वाणिज्यिक कर विभाग के रिकोर्ड में भी मूल लीजी फर्म के भागीदारों के रूप में अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारान का ही नाम अंकित है। BUSINESS AUXILLIARY SERVICES (सेवा कर) हेतु वित्त अधिनियम 1994 के तहत अपीलान्ट फर्म का पंजीयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वृत किशनगढ (अजमेर) के कार्यालय में दिनांक 31.10.2004 को हुआ जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर ST/AJM/ KSG/ 1847/ BAS/2004 है।

भागीदारान के पिता श्री नूर मोहम्मद जी के जीवनकाल में सन 1979 में उनके तीन बड़े पुत्रों स्व. श्री रोशन अली, शहाबुदीन एवं सराजुदीन ने अपना खाना पीना अपने माता पिता एवं दोनों छोटे भाईयों निजामुदीन व सत्तार मोहम्मद से अलग कर दिया था जबकि सन 1979 तक पिता व उनके पांचों पुत्रों का शामिल निवास व मेस था एवं व्यापार का अधिकांश संचालन बड़े भाई रोशन अली करते थे इसलिये तब तक परिवार के लिये खरीद की गई अधिकांश सम्पत्तियों में बड़े भाई रोशन अली का नाम अंकित किया जाता था। अतः मूल लीजी फर्म के नाम से लीज जारी करवाने की कार्यवाहीयाँ बड़े भाई रोशन अली ने बतौर भागीदार ही की थी। सन 1979 में तीनों बड़े भाईयों ने अपना खान पान अलग करने पर माता पिता व सभी भाईयों की आपसी सहमति से परिवार की सम्पत्तियों की व्यवस्था अलग–अलग कर ली थी, बंटवारा हो गया था ।

सन् 1981 में अपीलान्ट फर्म के भागीदार निजामुदीन व सत्तार मोहम्मद भी अपना अपना अलग मकान बनाकर रहने लग गये थे। रोशन अली के रिटायर होने के फलस्वरूप उस समय वादग्रस्त जायदाद मूल लीजी फर्म के शेष चार भागीदारों की सम्पत्ति थी। दूसरे नम्बर के भाई/ भागीदार रेस्पोडेन्ट शहाबुदीन के रिटायर होने के पश्चात् दिनांक 1.1.1985 से वादग्रस्त जायदाद मूल लीजी फर्म के शेष तीनों भागीदारान /अपीलान्टस फर्म के भागीदारान की सम्पति होकर अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारान के वास्तविक एवं विधिक कब्जे में चली आ रही है। अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारान ही जो कि मूल लीजी फर्म के भी भागीदार थे, दिनांक 1.1.1985 से इस औद्योगिक ईकाई का सम्पूर्ण संचालन स्वतन्त्र रूप से करते आ रहे है दिनांक 01.01.1985 के पूर्व उपरोक्त वर्णितानुसार रिटायर हुए भागीदारान के साथ अपीलान्ट फर्म के भागीदारान इस इकाई का संचालन करते थे। श्री रोशन अली एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 शहाबुदीन फर्म से रिटायर्ड होने के पश्चात अपना कारोबार हिमालय मार्बल ट्रेडर्स तथा एस.एस. गौरी मार्बल ट्रेडर्स के नाम से अलग अलग करने लग गये थे व उनका वादग्रस्त जायदाद व मूल लीजी फर्म से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व अधिकार नहीं रहा। ये दोनों ही व्यक्ति स्वेच्छा से भागीदारी से रिटायर हुये थे और इस सम्बन्ध में उन्होंने समस्त वांछित कार्यवाहियां सम्बन्धित विभागों में अपने सी.ए. साहब वी. के. गोयल एण्ड कम्पनी के मार्फत सम्पूर्ण करवाई थी। इन कार्यवाहियों को यानि स्व. श्री रोशन अली व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 शहाबुदीन के फर्म से रिटायरमेन्ट होने से सम्बन्धित वांछित सरकारी कार्यालयों की कार्यवाहियां करने के लिये स्व. श्री रोशन अली ने अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारान को सी.ए. साहब के कार्यालय में लेकर गया जहां पर पहले से भरे फॉर्म 'ई' पर इन भागीदारान से यह कहकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये थे कि रोशन अली व शहाबुदीन को फर्म से रिटायर किया जा रहा है इसलिये इस सम्बन्ध में फार्म भरना आवश्यक है, जिस पर अन्य भागीदारान के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारान अनपढ/साक्षर व्यक्ति है जो अंग्रेजी भाषा पढने में सक्षम ही नहीं थे जबकि वह फार्म अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था इन तीनों भाईयों ने अपने बड़े भाई रोशन अली के कथन पर विश्वास करके फार्म "ई" पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान कर दिये कई वर्षो बाद अपीलान्ट फर्म के भागीदारान को यह ज्ञात हुआ कि तथाकथित फॉर्म पर श्री रोशन अली एवं श्री शहाबुदीन के रिटायर होने की बात अंकित न की जाकर फर्म को डिजोल्व करने की बात अंकित कर दी गई है और इस फार्म "ई" के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस कार्यालय जयपुर में संधारित रिकोर्ड में मूल लीजी फर्म के समापन की प्रविष्टि दिनांक 25.1.2002 को करा दी गई। इन सब तथ्यों की जानकारी अपीलान्ट फर्म के भागीदारान को सर्वप्रथम सन 2010 में हुई। इस प्रकार भाई रोशन अली ने अपीलान्ट फर्म के भागीदारान व भाई शहाबुदीन की निरक्षरता व नासमझी का फायदा उठाकर उन्हें धोखे में रखकर कपट पूर्वक मूल लीजी फर्म को डिजोल्व करने की प्रविष्टियां अपने सी.ए. साहब वी. के. गोयल

एण्ड कम्पनी से मिलकर करवा दी जबकि अपीलान्ट फर्म के भागीदारान का कभी भी यह उद्देश्य नही रहा था कि वे इस फर्म को डिजोल्व करे न ही निजामुदीन कभी भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में कभी यह फार्म " ई " लेकर गया । फॉर्म नम्बर "ई" पर हस्ताक्षर/अंगुठा निशान किये जाने के पश्चात भी आज दिन तक मूल लीजी फर्म का व्यवसाय अपीलान्ट फर्म के भागीदारान मूल लीजी फर्म के नाम से ही करते आ रहें है एवं बैंक खाता भी आज दिनांक तक संचालित है।

रोशन अली की मृत्यु के पश्चात सन् 2009–2010 में लीज डीड में रोशन अली का नाम बतौर पार्टनर न होकर बतौर प्रोपराईटर अंकित होने की लिपिकीय चूक की जानकारी अपीलान्ट फर्म के भागीदारान को होने पर इसे दुरूस्त करवाने व अपीलान्ट फर्म के भागीदारान का नाम लीजी फर्म के पार्टनरस के रूप में अंकित करवाने की कार्यवाहियां शुरू करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के मार्फत जानकारी हुई कि मूल लीजी फर्म का रिकार्डेड समापन हो चुका है तब अपीलान्ट फर्म के भागीदारान ने अपने फर्म के व्यवसाय को सही रूप से चालू रखने व संचालित करने के लियें एवं विवादित सम्पति की लीज अपीलान्ट फर्म के भागीदारान की भागीदारी में नाम दुरूस्त करवाने के लिए रोशन अली के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 7 से सम्पर्क किया तब रेस्पोडेन्ट नवाब अली ने वकील श्री सिकन्दर खान को बुलवाया एवं रेस्पोडेन्टस तथा वकील साहब ने बताया कि पूर्व की भागीदारी फर्म के नाम से ही भागीदारी फर्म का गठन लीज जारी होने के वर्ष से मानकर भागीदारी विलेख लिखवाकर रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस नागौर के कार्यालय में उसका पंजीयन करवा ले एवं फिर उस फर्म के नाम यह लीज ट्रांसफर करवा ले तब दिनांक 20.2.2010 को अपीलान्ट फर्म मैसर्स हाजी नूर मोहम्मद गौरी एण्ड सन्स बोरावड़ का गठन अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारो द्वारा करवाया जाकर नया भागीदारी विलेख अपीलान्ट फर्म के तीनों भागीदारों के बीच लिखवाया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अब्दुल मजीद स्वंय गवाह बना, इस फर्म का भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस नागौर के कार्यालय से दिनांक 25.2.2010 को पंजीयन करवाया गया, इस प्रकार अपीलान्ट फर्म मूल लीजी फर्म के ही तीनों भागीदारों की पंजीकृत भागीदारी फर्म है, अपीलान्ट फर्म का उपरोक्त उल्लेखित परिस्थितियों में गठन किया गया है लेकिन मूल लीजी फर्म व अपीलान्ट फर्म का व्यापार, व्यापारिक स्थल, भागीदारान समान है। मूल लीजी फर्म के विघटन की तथाकथित कार्यवाहियॉ जाहिरा तौर से अपीलान्ट फर्म के भागीदारान के साथ कपट व धोखाधड़ी करके षड़यंत्रपूर्वक की गई थी जो वास्तव में असरहीन व मात्र षड़यंत्रपूर्वक कार्यवाही है, यद्यपि रोशन अली के वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 यह कह रहें है कि मूल लीजी फर्म का रिकार्डेड समापन सी.ए. साहब की चूक एवं लापरवाही के फलस्वरूप हुआ।

अपीलान्ट के भाई व तत्कालीन भागीदार श्री रोशन अली का दिनांक 19.2.2005 को देहान्त हो गया था। अतः लीज वाली इस जायदाद के राजस्व रिकोर्ड में एवं लीज डीड में प्रोपराईटर रोशन अली के स्थान पर अपीलान्ट फर्म के भागीदारान का नाम अंकित करवाने की कार्यवाही करने हेतु अपीलान्ट फर्म के भागीदारान ने स्व. श्री रोशन अली के वारिसान को कहा। इस सम्बन्ध में रोशन अली के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने प्रारम्भ में अपनी सहमति दी और जो भी वांछित कार्यवाहीयां की जानी है उसमे अपनी सहमति जाहिर की। इस सम्बन्ध में श्रीमान् के कार्यालय एवं तहसील कार्यालय से सम्पर्क किया गया व कानूनी सलाह ली गई तो यह बतलाया गया कि लीज डीड में रोशन अली का नाम प्रोपराईटर के रूप में अंकित हो रखा है। अतः उनके स्थान पर अपीलान्ट फर्म के भागीदारान को पार्टनर के रूप में अंकित करने के लिये सर्वप्रथम राजस्व रिकोर्ड में स्व. श्री रोशन अली के स्थान पर उनके वारिसान के नाम का म्यूटेशन करवाना पड़ेगा व ऐसा होने पर श्री रोशन अली के वारिसान श्रीमान् के कार्यालय में एवं उप पंजीयन कार्यालय में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिये अपने अधिवक्ता के मार्फत कागजात तैयार करके प्रस्तुत करेगें। अपीलान्ट फर्म के भागीदारान एवं रोशन अली के वारिसान ने आवश्यक कार्यवाहियां करने हेतु अपने वकील साहब श्री सिकन्दर खान को कागजात तैयार करने हेतु निर्देशित कर दिये। इस कार्यवाही के क्रम में यह कानूनी सलाह भी मिली की कि स्व.

श्री रोशन अली के सभी वारिसान को इस सम्बन्ध में बार बार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों के कार्यालय में आने जाने में असुविधा होगी एवं अनावश्यक खर्चा भी होगा। अतः स्व. श्री रोशन अली के किसी एक वारिस के नाम नामान्तरकरण करवाकर उसके माध्यम से अपीलान्ट फर्म के भागीदारान के नाम लीज दुरूस्त करवा देवे ताकि असुविधाओं से निजात मिल जायेगी। इस हेतु दिनांक 3.8.2009 को श्री रोशन अली के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली के पक्ष में एक हकत्यागनामा निष्पादित कर उसे दिनांक 4.8.2009 को उप पंजीयक कार्यालय मकराना से पंजीकृत करवा दिया । ऐसा किया जाकर लीज डीड में लीजी के स्थान पर अपीलान्ट फर्म का नाम अंकित करवाने हेतु श्रीमान् के कार्यालय में रेस्पोडेन्टस की और से कार्यवाही की जाकर हकतर्कनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में रोशन अली के स्थान पर रेस्पोडेन्ट नवाब अली का नाम दर्ज कराने हेतु (नामान्तरकरण हेतु) दिनांक 23.09.2009 को श्रीमान् कार्यालय से आदेश प्राप्त किया एव श्रीमान् के आदेश दिनांक 23.09.2009 की पालना में पंजीबद्व हकतर्कनामा दिनांक 04.08.2009 के आधार पर दिनांक 12.12.2009 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली के नाम नामान्तरकरण भी दर्ज करवा लिया,चूंकि अपीलान्ट फर्म के भागीदारान की मूल लीजी फर्म ऊपर लिखे अनुसार पूर्व में धोखे से विघटित कर दी गई थी इसलिये अपीलान्ट फर्म के भागीदारान की ही भागीदारी की नई अपीलान्ट फर्म का गठन उपरोक्त वर्णितानुसार किया गया ताकि उसके नाम यह जायदाद व लीज डीड कायम हो सकें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली के हक में नामान्तरकरण होने के पश्चात लीज का नामान्तरकरण अपीलान्ट फर्म के नाम करने व उसमें अपीलान्ट फर्म के भागीदारान का नाम अंकित करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली ने जिला कलक्टर महोदय नागौर को दिनांक 10.3.2010 को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया । साथ में स्थानीय वित्तीय संस्थाओं इत्यादि का ऋण बकाया न होने बाबत नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट फर्म के भागीदारान का भी संयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करवाया गया। जिला कलक्टर महोदय नागौर ने दिनांक 15.3.2010 को तहसीलदार जी, मकराना को अपीलान्ट फर्म के नाम लीज ट्रांसफर करने बाबत कुछ बिन्दूओं पर टिप्पणी चाही, जो तहसीलदार जी, मकराना ने दिनांक 10.5.2010 को श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर को प्रेषित कर दी इन सभी कार्यवाहियों के होने के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली की नियत में खोट उत्पन्न हो गया एवं उसने षड़यंत्रपूर्वक कार्यवाही करते हुये दिनांक 23.12.2010 को एक पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर को देकर अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.2010 जिसके जरिये लीज का अपीलान्ट फर्म के नाम नामान्तरकरण करने की कार्यवाही करने का आवेदन किया गया था, को विड्रो करने की प्रार्थना की गई, यह कार्यवाही उसने अपीलान्टस से चाले–चाले तरीके से की लेकिन अपीलान्ट फर्म के भागीदारान को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त की गई कार्यवाही की भनक लग गई तब अपीलान्ट फर्म के भागीदारान ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 से समझाईस की और ऐसी गलत कार्यवाहीयॉ न करने का आग्रह किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह कहा कि उससे गलती हो गई है और वह अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र जिसमें उसने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को विड्रो करने की प्रार्थना की है, को कलेक्टर कार्यालय से विड्रो कर लेगा और अपीलान्ट फर्म के पक्ष में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। यहीं नहीं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को विश्वास दिलाने के लिये दिनांक 31.12.2010 को एक इकरारनामा भी अपीलान्ट फर्म के भागीदारान के पक्ष में लिखकर उसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर दिया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मोहम्मद सुलेमान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 शहाबुदीन ने बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.1.2011 को जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने द्वारा दिनांक 23.12.2010 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को विड्रो कर लिया एवं अपीलान्ट फर्म के पक्ष में लीज ट्रांसफर करने की प्रार्थना की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस को पुनः विश्वास दिलाते हुए अपीलान्ट फर्म के नाम लीज हस्तानान्तरण करवाने हेतु दिनाक 18.1.2011 को दो शपथ पत्र भी अपीलान्ट के पक्ष में लिखकर जिला कलक्टर महोदय नागौर को दिये। यह

कार्यवाही होने पर पटवारी हल्का बोरावड़, तहसीलदार मकराना ने समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुये श्रीमान् जिला कलेक्टर नागौर को लीज ट्रांसफर योग्य होना लिखा इस दरम्यान जिला कलेक्टर महोदय नागौर ने दिनांक 20.5.2011 को तहसीलदारजी, मकराना से पांच बिन्दूओं पर सूचना और चाही जो भी तहसीलदार, मकराना द्वारा दिनांक 31.5.2011 को श्रीमान् को प्रेषित कर दी गई।

जिला कलक्टर महोदय नागौर के कार्यालय द्वारा लीज ट्रांसफर सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं एवं कार्यवाहीयां पूर्ण होने के पश्चात जिला कलेक्टर महोदय नागौर द्वारा आदेश दिनांक 1.7.2011 द्वारा बोरावड़ के खसरा नम्बर 326 (पुराने) वर्तमान खसरा नम्बर 326/18 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन फैक्ट्री भूमि अपीलान्ट फर्म के पक्ष में लीज हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी एवं लीज हस्तान्तरण विलेख निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाने के निर्देश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली को दिये। इस प्रकार यह लीज सम्पति अपीलान्ट फर्म व उसके भागीदारान के अधिकारों की सम्पत्ति है, जिस पर रेस्पोडेन्टस का किसी प्रकार का अब कोई हक व अधिकार वास्तविक एवं विधिक रूप में नहीं है।

माह जुलाई, 2011 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली राजस्थान के बाहर होने के कारण लीज हस्तान्तरण विलेख का निष्पादन व पंजीयन नहीं हो सका, जिस पर जिला कलक्टर महोदय, नागौर को आग्रह करने पर समयावधि को ओर बढ़ाया गया लेकिन उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली एक न एक बहाने कर शीघ्र अपीलान्टस के पक्ष में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन देता रहा। अपीलान्टस भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर विश्वास करते रहे क्योंकि जिस तरह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथन पर कायम रहते हुये अपीलान्टस के पक्ष में लीज का हस्तान्तरण करने की कार्यवाहियॉ की थी इसलिये अपीलान्टस को यह कतई आशंका नहीं थी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुनः अपनी बात से मुकर जायेगा व अपीलान्टस के साथ किसी तरह का कोई धोखा व कपट करेगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एकतरफ तो अपीलान्टस को लीज हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन व पंजीयन का आश्वासन देता रहा एवं दूसरी तरफ चुपचाप अपीलान्टस के विरूद्ध वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अलग कार्यवाहियां व षड़यंत्र करने लगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के साथ दुर्भि सन्धि कर उनके मार्फत एक झूठा वाद श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश, परबतसर की अदालत में दिनांक 12.12.2011 को प्रस्तुत करवाया, जिसमें यह लिखा गया कि उन्होंने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली के हक में कभी भी हकत्यागनामा नहीं लिखा था और हकत्यागनामा लिखने की सारी कार्यवाहियां धोखे से कपटपूर्ण की गई है इसलिये हकत्यागनामा दिनांक 4.8.2009 को निरस्त किया जावे। यह आश्चर्यजनक है कि उक्त वाद दिनांक 12.12.2011 को प्रस्तुत किया गया था यह वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हकत्यागनामा दिनांक 4.8.2009 के तहत अनेकों कार्यवाहियां हो गई थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व न तो अपीलान्टस को अपने इरादों से अवगत करवाया और न ही अपीलान्टस को वाद में पक्षकार मुकदमा ही बनाया, जबकि उन्हें भली प्रकार पता था कि हकत्यागनामा की कार्यवाही पूर्णतया विधिनुसार उनके द्वारा स्वेच्छा से की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.12.2011 को वाद प्रस्तुत करने के पश्चात उसे दिनांक 13.12.2011 को दर्ज किया जाकर सम्मन के तामील करवाने हेतु पेशी दिनांक 20.12.2011 को रखी गई एवं दिनांक 20.12.2011 को उस वाद के मिलावटी पक्षकारान ने आपस में मिलकर मिलावटी राजीनामा पेश कर अदालत को धोखे में रखकर वाद को दिनांक 20.12.2011 को डिक्री करवाते हुये हकत्यागनामा दिनांक 4.8.2009 को निरस्त करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त वाद संख्या 198/2011 पर दर्ज रजिस्टर हुआ था । इस वाद संख्या 198/2011 में रेस्पोडेन्टस द्वारा उपरोक्त वर्णितानुसार कपट पूर्वक प्राप्त की गई डिक्री को निरस्त करवाने आदि का वाद अपीलान्ट फर्म व अपीलान्ट फर्म के भागीदारान ने श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश परबतसर की अदालत में दिनांक 03.01.2014 को प्रस्तुत कर दिया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 द्वारा दुरभिसंधि कर उपरोक्त वर्णित वाद संख्या 198/2011 की कपटपूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मोहम्मद सुलेमान ने तहसीलदार जी

मकराना के समक्ष दिनांक 22.12.2011 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हकत्यागनामा निरस्ती की न्यायालय की डिक्री के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में पालना करने को कहा। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2011 को ही पटवारी हल्का बोरावड़ को तहसीलदारजी मकराना ने प्रेषित कर दिया, जिसके लगभग दो वर्ष पश्चात पटवारी हल्का बोरावड़, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरावड़ एवं तहसीलदारजी मकराना ने यह जानते हुये भी कि इस लीज सम्पत्ति को अपीलान्टस के नाम दर्ज करवाने बाबत जिला कलक्टर महोदय के आदेश हो चुके है, ये सम्पति अब रेस्पोडेन्टस के अधिकारों की नहीं रही है एवं इस अपीलाधीन नामान्तरकरण नोट का कोई औचित्य नही है, चुपके चुपके नामान्तरकरण की पुश्त पर अपीलाधीन नोट (आदेश) कर रोशन अली के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 का नाम लीज फर्म के प्रोपराईटर के रूप में राजस्व रिकार्ड में नवाब अली के स्थान पर रोशन अली के वारिसान के रूप में अंकित कर दिया व नवाब अली के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण आदेश दिनांक 12.12.2009 को प्रभावहीन कर दिया। ऐसा करने से पूर्व जिला कलक्टर महोदय के अधीनस्थ राजस्व एजेन्सी ने जिला कलक्टर महोदय नागौर (लीज दाता) से भी कोई राय दिशा निर्देश नहीं लिये, जबकि यह नामान्तरकरण तो स्वयं श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर के उपरोक्त वर्णित आदेशानुसार ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नवाब अली के नाम दर्ज किया गया था, रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार जी मकराना से मिलावट कर उनको यह कह कर इस नामान्तरकरण 2328 में फेरबदल करवाया कि इससे अपर जिला न्यायाधीश परबतसर के न्यायालय के आदेश की पालना होगी। जबकि उक्त उल्लेखित वाद संख्या 198/2011 में न तो राजस्व एजेन्सी पक्षकार थी और न ही माननीय न्यायालय ने राजस्व एजेन्सी को ऐसा करने हेतु कोई आदेश या निर्देश ही दिये थे। नवाब अली द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में लीज ट्रांसफर हेतु की गई समस्त कार्यवाहीयों की जानकारी हल्का पटवारी तथा तहसीलदार मकराना को भलीभांति व्यक्तिगत एवं कार्यालयिक रूप में थी क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा आदेश प्रदान कर अपीलान्ट के पक्ष में लीज हस्तान्तरण स्वीकृति के आदेश दिनांक 01.07.2011 पारित किये गये थे परन्तु पटवारी हल्का व तहसीलदार जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 से मिले हुये थे इसलिये उन्होंने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की गई कपटपूर्ण कार्यवाही में उनका साथ दिया। नामान्तरकरण संख्या 2328 की पुश्त पर लगाया गया नोट दिनांक 31.10.2013 सही नहीं है, अवैध है उक्त नोट अपास्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक एफ. 12( )राजस्व/विविध/09/4556 दिनांक 23.09.09 की पालना में दिनांक 12.12.2009 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2328 पर रेस्पोडेन्ट मोहम्मद सुलेमान द्वारा तहसीलदार जी मकराना को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.12.2011 के आधार पर दिनांक 26.10.2013 को पटवारी हल्का बोरावड़ द्वारा जो नोट लगाया गया है एवं इस पर आई.एल.आर. बोरावड़ ने जो जांच की है वह भी गलत है एवं तहसीलदार जी मकराना द्वारा दिनांक 31.10.2013 को जो आदेश किये है (प्रविष्ठि की है) वह भी गलत है, अवैध है काबिल निरस्त है।

रेस्पोडेन्ट मोहम्मद सुलेमान द्वारा तहसीलदार जी मकराना को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.12.2011 के आधार पर पूर्व में दिनांक 12.12.2009 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2328 सरहद मौजा बोरावड़ की पुश्त पर दिनांक 26.10.2013 को पटवारी हल्का बोरावड़ द्वारा लगाये नोट, इस पर आई.एल.आर. मकराना द्वारा की गई जाच रिपोर्ट तथा इस पर तहसीलदार जी मकराना द्वारा दिनांक 31.10.2013 को जो आदेश (प्रविष्ठि) की है।

अधीनस्थ अदालत तहसीलदार मकराना व उनके अधीनस्थ पटवारी हल्का बोरावड़ व आई.एल.आर. मकराना ने अपीलाधीन आदेश (प्रविष्ठि) करने में कानूनी एवं वाक्याति भूल की है विवादित नोट (आदेश) दिनांक 31.10.2013 उपरोक्त वर्णित लीज सम्पति के सम्बन्ध में है, लीज सम्पति के हस्तान्तरण की कार्यवाहियों की जानकारी पटवारी हल्का एवं तहसीलदार जी मकराना को व्यक्तिगत रूप में व कार्यालयिक रूप में थी, उक्त लीज सम्पति लीजी फर्म से अपीलान्ट फर्म के पक्ष में हस्तान्तरण होने की स्वीकृति के आदेश दिनांक 01.07.2011 को ही जिला कलक्टर महोदय नागौर के कार्यालय से जारी हो गये थे अतः दिनांक 01.07.2011 से विधिक रूप से भी

इस लीज सम्पति में अपीलान्ट को कानूनी अधिकार प्राप्त हो गये थे अतः दिनांक 01.07.2011 के पश्चात् अपीलान्ट की लीज सम्पति के सम्बन्ध में जारी विवादित नोट (आदेश) दिनांक 31.10.2013 के पारित करने के पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना कानूनन आज्ञापक था लेकिन राजस्व एजेन्सी ने रेस्पोडेन्टस से मिलकर जानबूझकर ऐसा नहीं किया, काबिज व विधिक स्वामित्व धारित अपीलान्टस से चुपके–चुपके कार्यवाहियाँ की गई, अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है।

नामान्तरकरण संख्या 2328 लीज सम्पति से संबंधित है, नामान्तरकरण संख्या 2328 श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक एफ. 12( )राजस्व/विविध/09/4556 दिनांक 23.09.09 की पालना में दिनांक 12.12.2009 को स्वीकृत किया गया था, इसके पश्चात् लीज सम्पति के अपीलान्ट के पक्ष में हस्तान्तरण की स्वीकृति 01.07.2011 को हो गई, लीज हस्तान्तरण स्वीकृति की कार्यवाहीयां स्वंय पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मकराना की कार्यवाहीयो के आधार पर हुई तो ऐसी स्थिति में विवादित नोट (आदेश) करने के पूर्व श्रीमान् जिला कलक्टर साहब (Lessor) को आवश्यक वस्तुस्थिति प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी एवं जिला कलक्टर महोदय नागौर से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये जाने आवश्यक थे एवं ऐसा किया जाता तो निश्चित रूप से जिला कलक्टर महोदय के कार्यालय से अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता एवं अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने की स्थिति में एवं जिला कलक्टर महोदय को आवश्यक वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन विवादित आदेश पारित ही नहीं होता। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 12.12.2011 को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उसके दो वर्षो पश्चात् माह अक्टूबर 2013 में यह विवादित नोट (आदेश) किये गये इससे भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाहियाँ अपीलान्टस से चुपके–चुपके, अवैध तरीके से व जिला कलक्टर महोदय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये बिना, जानबूझकर गलत रूप में अपीलान्टस को नाजायज क्षति कारित करने की बदनियती से की गई ।

विवादित नोट (आदेश) श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश परबतसर की अदालत के वाद संख्या 198/2011 के निर्णय के आधार पर लगाना बताया गया है एव रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह कहा गया कि न्यायालय की पालना में कार्यवाही की जावे, जबकि इस वाद संख्या 198/2011 में न तो राजस्व एजेन्सी पक्षकार थी न ही अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया एवं न ही माननीय न्यायालय ने राजस्व एजेन्सी को कोई आदेश ही दिया अतः न्यायालय के आदेशों की पालना या अपालना का तो कोई प्रश्न ही नहीं था एवं श्रीमान् के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को यह भी जानकारी थी कि रेस्पोडेन्टस ने नियत खराब कर गलत डिक्री हासिल की है एवं बदनियती पूर्वक कार्यवाहियाँ करवा रहें है इन सब के बावजूद जिला कलक्टर महोदय के अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों ने जिला कलक्टर महोदय को आवश्यक वस्तुस्थिति प्रस्तुत नहीं की, आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किये एवं अपीलान्टस से चुपके चुपके अपीलान्ट की सम्पति के सम्बन्ध में अपीलाधीन विवादित नोट (आदेश) कर दिये ।

राजस्व रिकार्ड में खातेदार के कॉलम में लीजी फर्म के प्रोपराईटर रोशन अली के स्थान पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 12.12.2009 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 नवाब अली का नाम दर्ज किया गया एवं इसका विधिक प्रभाव यह हुआ कि दिनांक 12.12.2009 से राजस्व रिकार्ड में इस लीजी फर्म का प्रोपराईटर नवाब अली हो गया, इसके बाद चली लीज हस्तान्तरण कार्यवाहियों के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2011 को जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में इस लीज के हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी की गई, लीज हस्तान्तरण स्वीकृति जारी होने के फलस्वरूप अपीलान्टस के विधिक अधिकार उत्पन्न हो गये, लीज हस्तान्तरण स्वीकृति के भी करीब अढाई वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 2328 पर विवादित अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 नवाब अली के स्थान पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 का नाम दर्ज किया जाना प्रथम दृष्टया ही अवैध है गलत है, अपीलाधीन आदेश (नामान्तरकरण संख्या 2328 की पुश्त पर लगाया गया नोट) का परिणाम यह है कि राजस्व रिकार्ड में दिनांक 12.12.2009 को लीजी फर्म के प्रोपराईटर के रूप में दर्ज हुए नाम नवाब अली के स्थान पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

का नाम दर्ज हो गया, इस प्रकार के मामले मे पृथक नामान्तरकरण खोला जाकर कार्यवाही की जानी आवश्यक होती है लेकिन इस मामले में ऐसा भी नहीं किया गया।

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिस नामान्तरकरण संख्या 2328 की पुश्त पर विवादित प्रविष्ठियों की गई है उस नामान्तरकरण संख्या 2328 के कॉलम संख्या 14 में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय नागौर के आदेशों की अनदेखी बदनियती पूर्वक सभी द्वारा की गई, जब हकत्यागनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के पूर्व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश की आवश्यकता पड़ी तो इस नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14–15 में अंकित आदेश को प्रभावहीन (निरस्त) करने हेतु इस नामान्तरकरण की पुश्त पर लगाये गये विवादित आदेश (नोट) के पूर्व श्रीमान् से आवश्यक दिशा निर्देश क्यों नहीं लिये गये ? स्पष्ट है कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन खुलमखुला किया गया।

इस लीज सम्पति के हस्तान्तरण की कार्यवाही के दौरान दिनांक 10.05.2010 को क्रमांक राजस्व/11/270 पर तहसीलदार मकराना ने कुल 28 पत्रों सहित अपनी 14 कॉलम की रिपोर्ट प्रेषित की है एवं जिन्हीं के आधार पर दिनांक 01.07.2011 को लीज हस्तान्तरण स्वीकृति जारी हुई है, दिनांक 24.01.2011 को पटवारी हल्का बोरावड़ द्वारा लीज में नाम परिवर्तन करने बाबत लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र श्रीमान् के कार्यालय के लिए दी है, दिनांक 05.05.2011 को क्रमांक टी.आर.ए/10/137 पर तहसीलदार मकराना द्वारा अदेय प्रमाण पत्र दिया है जो भी लीज हस्तान्तरण बाबत ही है, दिनांक 31.05.2011 को तहसीलदार मकराना ने क्रमांक राजस्व /11/297 पर जिला कलक्टर महोदय को पांच कॉलम की एक रिपोर्ट और दी है जो भी लीज हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु ही दी है । जिला कलक्टर महोदय के कार्यालय द्वारा जारी लीज हस्तान्तरण स्वीकृति आदेश दिनांक 01.07.2011 की एक प्रति तहसीलदार मकराना को भी दी गई है इन सबके बावजूद श्री तहसीलदार मकराना ने अपीलाधीन विवादित आदेश पारित करने में भारी चूक की है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वजुहातों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 ने आपसी षड़यन्त्र व दुर्भि सन्धि के तहत गलत एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर एवं आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुये अपीलान्टस के अधिकारों की सम्पति के सम्बन्ध में जो आदेश नामान्तरकरण संख्या 2328 की पुश्त पर करवाये है वे पूर्णरूप से गलत, विधिविरूद्ध एवं कपटपूर्वक प्राप्त की हुई डिक्री के आधार पर है एवं अपीलान्टस इसे निरस्त करवाने के अधिकारी है अतः इस हेतु यह अपील प्रस्तुत की जाने का निवेदन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश जो कि नामान्तरकरण संख्या 2328 की पुश्त पर बनाये गये है, को निरस्त फरमाकर मूल नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 12.12.2009 की स्थिति पुनः कायम करने के आदेश तहसीलदार मकराना को प्रदान करने एवं विकल्प में मामला तहसीलदार मकराना को प्रतिप्रेषित कर प्रभावित पक्षों को सुनकर पुनः न्यायोचित आदेश पारित करने के तहसीलदार मकराना को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित म्यूटेशन और अपील आदेश सही है, इसलिए अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 2328 जो सरपंच ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा रोशन अली के फौत होने पर उसके पुत्र नबाब अली के पक्ष में हकत्याग आदि के आधार पर दिनांक 12.12.09 को स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात उक्त नामान्तकरण की पुस्त पर तहसीलदार द्वारा रोशन अली के सभी उत्तराधिकारियों के नाम दिनांक 31.10.2013 को स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कर मूल नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 12.12.2009 की स्थिति पुनः बहाल करने, विकल्प में मामला तहसीलदार मकराना को प्रभावित पक्षों को सुनकर पुनः न्यायोचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरावड का नामान्तकरण संख्या 2328 के संबंध में जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक–4556 दिनांक 23.09.2009 की पालना में एवं जरिये हकत्याग दिनांक 4.8.09 पु.सं. 1 जि.सं. 103 में पृ.सं. 71 क.सं. 2009000972 पर पंजीबद्ध के अनुसार मैसर्स हाजी नूर मोहम्मद गौरी एण्ड संस मारबल इण्डस्ट्रीज मकराना रोड़ बोरावड के प्रो. रोशन अली के फौत होने पर उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उनके पुत्र नवाब अली के नाम समस्त हिस्सा हकत्याग करने पर पटवारी बोरावड द्वारा उक्त नामान्तकरण जाँच एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक मकराना द्वारा दिनांक 12.10.2009 को "जाँच की गई। इन्द्राज सही है" की रिपोर्ट की गई, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत बोरावड पंचायत समिति मकराना द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 12.12.2009 को मैसर्स हाजी नूर मोहम्मद गौरी एण्ड संस मारबल इण्डस्ट्रीज मकराना रोड़ बोरावड प्रो. नवाब अली पुत्र रोशन अली तेली सा. बोरावड़ (99वर्षीय लीजी) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात दीवानी वाद संख्या 198/2011 बिदाम बानों बनाम नवाब अली प्रकरण में माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश परबतसर ने अपने आदेश/निर्णय दिनांक 20.12.2011 से उक्त हकत्यागनामा को जरिये राजीनामा के निरस्त कर दिया, जिस पर उक्त नामान्तकरण संख्या 2328 की पुश्त पर उक्त निर्णय के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.10.2013 को स्वीकार किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा दिवानी मूल वाद संख्या 3/2014 मैसर्स हाजी नूर मोहम्मद गौरी एण्ड संस मार्बल इण्डस्ट्रीज मकराना रोड़ बोरावड़ वगैरह बनाम नवाब अली के नाम से न्यायालय श्रीमान् अपर न्यायाधीश परबतसर मे प्रस्तुत उक्त मूलवाद की प्रति भी प्रस्तुत की है, उक्त दीवानी मूल वाद की प्रति अनुसार वादीगण जो हस्तगत अपील में अपीलान्ट है, के द्वारा इस्तदुआ में वाद संख्या 198/2011 बिदाम बानों बनाम नवाब अली में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2011 व उसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 2328 पर अंकित नोट को निरस्त एवं मन्सुख करने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार जब दिवानी वाद संख्या 198/2011 में पारित निर्णय 20.12.2011 के विरूद्ध मामला माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा म्यूटेशन जैर अपील के संबंध में पारित आदेश 31.10.2013 में हस्तक्षेप किया जाना उचित है, क्योंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। आदेश म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त विवेचन में दिये गये तथ्यों के अनुसार हकत्यागनामा के संबंध में माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में विचाराधीन सिविल वाद के सन्दर्भ मे पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल म्यूटेशन जैर अपील लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर [illegible] नागौर (राजस्थान)

(दिनेश [illegible])
जिला कलक्टर, नागौर